



कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी
प्रेस-नोट

दिनांक:-23-04-2025

विषय:- "ऑपरेशन कन्विकशन" के तहत अभियुक्त विककी सेठ उर्फ डमरू को चोरी के प्रकरण में मा0 न्यायालय द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि (5 वर्ष) के दण्ड से दण्डित किया गया ।

थाना-भेलूपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0- 0072/2020 धारा- 379,411 भादवि व मु0अ0सं0- 292/2020 धारा- 379,411 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त विककी सेठ उर्फ डमरू पुत्र श्याम सुन्दर सेठ निवासी सी-14/142 बी-92-के- काजीपुरा खुर्द जवाहर नगर सोनिया थाना सिगरा जनपद वाराणसी को थाना-भेलूपुर पुलिस व मॉनीटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक- 23-04-2025 को मा0 न्यायालय जनपद वाराणसी द्वारा दोष सिद्ध करते हुए अभियुक्त उपरोक्त को मु0अ0सं0- 0072 व मु0अ0सं0- 292/2020 की धारा- 379, 411 भादवि में जेल में बितायी गयी अवधि (5 वर्ष) के दण्ड से दण्डित किया गया ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त जोन-काशी
कमिश्नरेट-वाराणसी